

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 05-परीक्षा/2022

मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/05

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि - 03-08-2022

ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा / आवेदन संपादित करने की अंतिम तिथि - 24-08-2022

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- 31-08-2022

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24-08-2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 24-08-2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक 31-08-2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-05-परीक्षा/2022, मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/05 के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0, लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/05 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) के स्कोर के आधार पर हो की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु नेमल नहीं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में प्रारम्भिक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइस्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation UI) व औपचारिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपचारिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग नवम्बर संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना - इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [upssc.gov.in](http://upssc.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

Gungun

जागर

## 2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु बांँडित अनिवार्य अर्हता (रैडिण्ड) व अन्य अर्हताएं पारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञान में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

अभ्यर्थी, आवेदन की वेबसाइट [upswa.gov.in](http://www.upswa.gov.in) के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उस विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा-निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भांति समझ लें।

### आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश

**2.1- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)-** अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET 2021) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

- I. व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)-अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं।
- II. ओटीपी के माध्यम से (Through O.T.P.)- अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व एक्टिव मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

### **2.2 आवेदन (Application)-**

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, FWS, शैक्षणिक आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (रैडिण्ड) से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में Yes/No विकल्प का पत्रा करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।
- III. अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (रैडिण्ड) पढ़ लें तथा योग्यता पारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें।
- IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सुचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर "Enter Verification Code" में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही "अभ्यर्थी का आवेदन पत्र" प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भविष्य कार्यों हेतु किया जायेगा।

*Bunjan*

*अभ्यर्थी*

**2.3 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature):-** इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अपना परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त "Continue" बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

**2.4 अन्य विवरण (Other Details):-** इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो वो) के संबंध में Yes/ No विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पताचर भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) में सहमत होना होगा।

#### घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निम्नलिखित हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्गत्तु का प्लानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणापत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर Save & Proceed करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समस्त अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबंधी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टि/विवरणों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सत्यता की दशा में अभ्यर्थी द्वारा Proceed to Payment of Fee & Final Submission पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

#### **2.5- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)**

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-बालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का स्वतः भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अभिलेखित होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ **Proceed To Download and Print The Application Form** बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit कर सकते हैं तथा उसका एक Printout भी ले सकते हैं।

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा Credit card/Debit card, Internet Banking द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निम्ताल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें।

III- ई-बालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-बालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से ई-बालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

IV- अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि डिवाइस की अंतिम तिथि तक अवशेष उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निम्ताल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो

Gurjan

Gurjan

बने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन का अंतिम रूप में सवमिट किया जा सकेगा।

V- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तकाल नहीं कर पाते हैं तो यह शुल्क जमा करने की अस्थि में मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Fee Deposition पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

VI- अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सवमिट कर सकेंगे।

VII- अभ्यर्थी द्वारा अभ्युक्त के अतिरिक्त Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VIII- अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

IX. आवेदन शुल्क – ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है-

| क्र. सं. | श्रेणी             | आवेदन शुल्क | ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क | शुल्क योग ( आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ) |
|----------|--------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | अनारक्षित सनाथ     | 00          | 25.00                  | 25.00                                              |
| 2        | अनारक्षित वर्ग     | 00          | 25.00                  | 25.00                                              |
| 3        | अनुसूचित जाति      | 00          | 25.00                  | 25.00                                              |
| 4        | अनुसूचित जाति      | 00          | 25.00                  | 25.00                                              |
| 5        | विश्वविद्यालय हेतु | 00          | 25.00                  | 25.00                                              |

- स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी के अतिरिक्त, भूतपूर्व सेनानियों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.6- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सवमिट करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर

*Pranjan*

*Pranjan*

*Pranjan*

अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आवेदन की वेबसाइट के Homepage पर जाकर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर अपने शुल्क का समाचोचन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

नोट- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्पन्न भागों का अनुपालन विज्ञापन की निर्धारित तिथियों तक अवश्य सुनिश्चित कर लें।

### 3- आवेदन पत्र में संशोधन

I. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के सामने प्रदर्शित Modify Application बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) आएगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

- नाम में वर्तनी की गलती।
- पिता/ पति के नाम में वर्तनी की गलती।
- पत्राचार का पता।
- अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- F.W.S. एवं शैक्षणिक आरक्षण की श्रेणी (D.F.T, Ex. Service Man, P.H. आदि)।
- जाति की श्रेणी (साधारण/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।
- लिंग (जेन्डर)।
- आवेदन में अनिवार्य/अभिमान्य अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

विशेष नोट- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30-07-2021 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत शैक्षणिक आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पत्रों का पुनर्विहीनन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उपश्रेणी को संशोधित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

III. आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 31-08-2022 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Gurjar

Amir

#### 4- पदों का विवरण-

निम्नलिखित सारणी-1 में विभाग द्वारा उल्लेख कियी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार रिक्तियों का वितरण निम्नस्त है-

सारिणी-1

[illegible]

- 4.1- उपर्युक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।
- 4.2- आवेदन करने के पूर्व आवेदनी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताएँ अवश्य पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदित पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं प्राप्त करते हैं तथा उपर्युक्त सारणी में पद के सम्मुख अभिहित आवेद सीमा के अंतर्गत आते हैं।
- 4.3- आवेदनी को आवेदन करते समय आवेदना की अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षिक अर्हता प्राप्त (Acquired) Yes/No करना अनिवार्य है, अन्यथा उत्पन्न आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 4.4- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/शासनादेशों में निर्धारित/नोति निर्देशों के अनुसार अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 4.5- उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

#### 5- क्षैतिज आरक्षण का विवरण -

अर्जुन साहू-। मे उल्लिखित रिक्त पदों के उपरान्त विभाग द्वारा दक्षिण आरक्षण के अंतर्गत श्रेणीवार रिक्तियों का उल्लेख करना गया जिसका निम्नवत है -

### सारिणी-2

| क्र.सं. | विभाग का नाम                                    | पदनाम        | सेविज आरक्षण की श्रेणी                                                            | पदों की संख्या |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1       | वायव्य विकास सेवा एवं भुगतान, डी.डी.ए., जयपुर-६ | मुख्य लेखिका | 1<br>एक भुगतान लेखिका के लिये                                                     | 18             |
|         |                                                 |              | 2<br>द्वितीयक<br>मुख्य लेखिका पर<br>दिए विवरणों के<br>लिए, यथा,<br>यथा, यथा, यथा, | 36<br>36<br>36 |

|  |  |   |                                     |                                                                                                                                             |                           |
|--|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |  |   | एकलिंग प्रणाली (अनुसूचित जाति/जाति) | एकलिंग प्रणाली, वैदिक विधान, विद्वत् अधिकारिता और संबंधित अनुसूचित                                                                          | 30                        |
|  |  |   |                                     | (एकलिंग प्रणाली के अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ हैं जो 'एक' विधान, पिछले अनुसूचित प्रणाली से अलग के लिए अनुसूचित जाति में अनेक अनेक अधिकार हैं।) | 20                        |
|  |  | 2 | अन्य                                |                                                                                                                                             | अन्य प्रणाली 20-अनेक जाति |
|  |  | 4 | एकलिंग प्रणाली/अनुसूचित जाति        |                                                                                                                                             | 134                       |
|  |  | 3 | अन्य प्रणाली/अनुसूचित जाति          |                                                                                                                                             | 50                        |

नोट-1- उपर्युक्त सारिणी में श्रेणीवार पदों का विवरण विभाग द्वारा आवेगित रिक्तियों के अनुसार हो रहा गया है।

नोट-2- श्रेणीवार आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों का अल्लेख संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिवचन के अनुसार ही किया गया है।

- 5.1- स्वतंत्र संसद संसदियों के आशितों हेतु आवेगित पदों की गणना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/95, दिनांक- 20-09-1997 एवं अखत संसदों के प्राविधानानुसार की गयी है।
- 5.2- शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021/78/99 टीसी0, दिनांक 30.07.2021 द्वारा शासनदेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13-01-2011 को अवक्रमित (निरस्त) करते हुए लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह-"क", "ख", "ग" एवं "घ" श्रेणियों के पदों का पुनर्चिह्नित किया गया है। बाल विकास एवं पुर्नहाता विभाग के मुख्य सेविका पद हेतु दिव्यांजनों के लिए सी0, एससी0, डी0, एच0एच0 तथा डी0डब्ल्यू0 श्रेणियों/उपश्रेणियों चिह्नित है।
- 5.3- इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आवेगित हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दाखल विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणियों में रखा जायेगा जिन्हें वे सम्बंधित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.4- उपर्युक्त सारिणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संगणित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- 5.5- शासनादेश संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों का 02 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.6- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों / शासनादेशों में निर्धारित नीति-निर्देशों के अनुसार आवेगित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 5.7- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

Bunjan

अधीन

## 6 -अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-

अनुसूक्त कर्मियों 1 में उल्लिखित मुख्य सेवा के लिए पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं (शैक्षिक व अन्य) आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य है-

अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश कात शिक्षा सेवा एवं पुराहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 (पदात्मक) के अनुसार अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है-

अभ्यर्थी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक शिक्षक के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य का गृह विज्ञान या पोषण और बाल विज्ञान के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो।

### अधिमानी अर्हता-

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

- (एक) ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का न्यायव्यवहारिक अनुभव हो।
- (दो) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

## 7- आयु-सीमा-

मुख्य सेवा के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उक्त अर्हताएं वर्ष की, जिसमें आयोजन द्वारा सीधी भर्ती के लिए गिरफ्तारी विज्ञापित की जाए, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो; तदनुसार आयु गणना की निर्धारित तिथि 01 जुलाई, 2022 है।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणी के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

## 8- आरक्षण-

- 8.1- 40 प्र. की अनुसूचित जातियों, 40 प्र. की अनुसूचित जनजातियों, 40 प्र. के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधिमान के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 8.2- इसी प्रकार क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों तथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान अद्यावधिक अध्यादेश/ अधिनियम/ शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधिमान के अनुसार रिलीफ देने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 8.3- आरक्षण/ आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संकल्पित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विधान के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सहज अभिलेखी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अवधि विधान की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उन्हें अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोजन में प्रस्तुत करना होगा।

## 9- चयन का आधार (लिखित परीक्षा)-

विज्ञापित पदों पर चयन अभिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रूट एंड प्रक्रिया) नियमावली-2015 एवं कार्यात्मक अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की अभिसूचना संख्या-4/2017/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर

Gurjinder

Amish

होयी भर्ती (राक्षाकार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के जार्निक विभाग के शासनदेशसंख्या-1103/47-का-3-2020-13/7/2020, दिनांक 20-11-2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी।

#### 10- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

आयोग द्वारा उक्त पदों पर बनने हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट [upsssc.gov.in](http://upsssc.gov.in) पर नयासमय पूरा से प्रकाशित किया जाएगा।

#### 11- लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

11.1- यदि विहापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारम्भिक शर्त परीक्षा-2021 के स्नोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट/ दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों/ दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों/ दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी।

11.2- मुख्य सेविका की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

#### 12- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

12.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

12.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक सूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमत्त होगी।

12.03- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी, जो 30% राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमत्त नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

12.04- भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) तथा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी को उक्त श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने हेतु पर सख्त अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पर निर्मित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12.05- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, वैसी भी स्थिति हो, भी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमत्त होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, वैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्मित प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमत्त होगा।

*Bhujang*

*Om*

- 12.06- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आविष्ट होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आविष्ट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- 12.07- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अद्यतन प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 12.08 - जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवाबोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर दयानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 12.09- उच्चशोधन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उच्चशासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एन./2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.10- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 12.11- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आविष्ट, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्थियों को उच्च स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आविष्ट, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 तथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिन्हें वे सम्बन्धित हैं।
- 12.12- इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यद्यार्थशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 12.13- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रकार पर में अंशित जनतिथि ही मान्य होगी। जनतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 12.14- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की दृष्टि में अंकपर, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रामाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 12.15- परीक्षा की विधि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनिवार्यक पताचार न करें।

Ranjana

जाय

- 12.16-आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 12.17-किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रज्ञात परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 12.18-आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 12.19-कदाश्च अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कटाने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अनांशनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इन अनुदेयों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 12.20-आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 12.21-आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 12.22- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद संबंधित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 12.23- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट <http://j2ssc.gov.in> के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 12.24- ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझी जायेंगी, बसते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 12.25- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण

Ranjana

Om



विष्ट जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)-4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (F.W.S) अनुमन्य होगा।

12.26-अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

12.27-अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबंध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

Bunjan

गुप्ता

04/01/2021  
सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
लखनऊ।



# दिव्यांगता प्रमाणपत्र राखणधी फारम

## Form-II

### Certificate of Disability

(In case of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size  
attested photograph  
(Showing face only)  
of the person with  
disability

Certificate No. \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kam.  
son/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of Birth  
(DDMMYY) \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_  
permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ registration No. \_\_\_\_\_  
Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_  
where photograph is affixed above, and am satisfied that

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is \_\_\_\_\_

(A) he/she has \_\_\_\_\_ % (in figure) \_\_\_\_\_ percent (in words) permanent locomotor  
disability/dwarfism/blindness in relation to his/her \_\_\_\_\_ (part of body) as per guidelines  
(\_\_\_\_\_ number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

| Nature of Document | Date of issue | Details of authority (issuing certificate) |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                    |               |                                            |

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. \_\_\_\_\_)

Member  
Medical Board, with seal

(Dr. \_\_\_\_\_)

Member  
Medical Board, with seal

(Dr. \_\_\_\_\_)

Chairperson  
Medical Board with seal

Counter signed by the  
Chief Medical Officer  
(with seal)

Signature/Thumb  
impression of the person in  
whose favour certificate of  
disability is issued

**Form - III**  
**Certificate of Disability**  
**(In cases of multiple disabilities)**  
**(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

Recent passport size  
 attested photograph  
 (Showing face only)  
 of the person with  
 disability

Certificate No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

This is to certify that we have carefully examined Sri/Smt./Kum.  
son/daughter of Sri  
Date of Birth (DD/MM/YY) Age  
years, male/female

Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_  
 Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_  
 whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

| S. No | Disability                      | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical impairment/acental disability (in %) |
|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1.    | Locomotor disability            | @                     |           |                                                         |
| 2.    | Muscular Dystrophy              |                       |           |                                                         |
| 3.    | Leprosy cured                   |                       |           |                                                         |
| 4.    | Dwarfism                        |                       |           |                                                         |
| 5.    | Cerebral Palsy                  |                       |           |                                                         |
| 6.    | Acid attack Victim              |                       |           |                                                         |
| 7.    | Low vision                      | #                     |           |                                                         |
| 8.    | Blindness                       | #                     |           |                                                         |
| 9.    | Deaf                            | L                     |           |                                                         |
| 10.   | Hard of Hearing                 | L                     |           |                                                         |
| 11.   | Speech and Language disability  |                       |           |                                                         |
| 12.   | Intellectual Disability         |                       |           |                                                         |
| 13.   | Specific Learning Disability    |                       |           |                                                         |
| 14.   | Autism Spectrum Disorder        |                       |           |                                                         |
| 15.   | Mental illness                  |                       |           |                                                         |
| 16.   | Chronic Neurological Conditions |                       |           |                                                         |

|     |                     |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|
| 17. | Multiplex sclerosis |  |  |  |
| 18. | Parkinson's disease |  |  |  |
| 19. | Hemophilia          |  |  |  |
| 20. | Thalassemia         |  |  |  |
| 21. | Sickle Cell disease |  |  |  |

(B) In the light of the above, his/her overall permanent physical impairment as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :-

In figures :- ..... percent

In words :- ..... percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended after ..... years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till ..... .

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

# e.g. Single eye

& e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

| Nature of document | Date of issue | Details of authority issuing certificate |
|--------------------|---------------|------------------------------------------|
|                    |               |                                          |

5. Signature and seal of the Medical Authority.

|                         |                         |                                  |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                         |                         |                                  |
| Name and Seal of Member | Name and Seal of Member | Name and Seal of the Chairperson |

Countersigned by the  
Chief Medical Officer  
(with seal)

Signature/Thumb  
impression of the person  
in whose favour  
certificate of disability is  
issued

**Form -IV**  
**Certificate of Disability**  
(In cases other than those mentioned in Form II and III)  
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size  
affixed photograph  
showing face only of  
the person with  
disability.

Certificate No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

This is to certify that I have carefully examined  
Shri/Mr/Ms \_\_\_\_\_

son/with/daughter of Shri

Date of Birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_

Age \_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_

Registration No. \_\_\_\_\_

permanent resident of House No. \_\_\_\_\_

Ward/Village/Street \_\_\_\_\_

Post Office \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_

State \_\_\_\_\_

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of  
disability. His/her extent of percentage physical  
impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the  
guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

| S. No | Disability                      | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical impairment/disability (in %) |
|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1.    | Locomotor disability            | (a)                   |           |                                                 |
| 2.    | Muscular Dystrophy              |                       |           |                                                 |
| 3.    | Leptospira                      |                       |           |                                                 |
| 4.    | Cerebral Palsy                  |                       |           |                                                 |
| 5.    | Acid attack Victim              |                       |           |                                                 |
| 6.    | Low vision                      | (b)                   |           |                                                 |
| 7.    | Deaf                            | (c)                   |           |                                                 |
| 8.    | Hard of Hearing                 | (d)                   |           |                                                 |
| 9.    | Speech and Language disability  |                       |           |                                                 |
| 10.   | Intellectual Disability         |                       |           |                                                 |
| 11.   | Specific Learning Disability    |                       |           |                                                 |
| 12.   | Autism Spectrum Disorder        |                       |           |                                                 |
| 13.   | Mental illness                  |                       |           |                                                 |
| 14.   | Chronic Neurological Conditions |                       |           |                                                 |
| 15.   | Multiple sclerosis              |                       |           |                                                 |
| 16.   | Parkinson's disease             |                       |           |                                                 |
| 17.   | Haemophilia                     |                       |           |                                                 |
| 18.   | Thalassemia                     |                       |           |                                                 |
| 19.   | Sickle Cell disease             |                       |           |                                                 |

(Please strike out the disability which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended after \_\_\_\_\_ years \_\_\_\_\_ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_

Q - eg. Left/Right/both arms/legs

E - eg. Single eye/both eyes

F - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

|                         |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                         |                         |                                     |
| Name and Seal of Member | Name and Seal of Member | Name and Seal of the<br>Chairperson |

Over-signed by the  
Chief Medical Officer  
(with seal)

Signature/Stamp  
impression of the person  
in whose favour  
certificate of disability is  
issued





आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन परीक्षण/पत्र

(अध्या- 1)

आवेदन प्रारंभ

आवेदनकर्ता का नाम .....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन परीक्षण/पत्र

आवेदनकर्ता का पता .....

निवेदन करने वाले का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

पुत्र/पुत्री/पुत्रिका .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....

आवेदनकर्ता का नाम .....

आवेदनकर्ता का पता .....